भारत सरकार
ग्रामीण विकास मंत्रालय
ग्रामीण विकास विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 2580
(05 अगस्त, 2025 को उत्तर दिए जाने के लिए)

पीएमजीएसवाई के तहत परियोजनाएं

2580. श्री के. राधाकृष्णन:

क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले पांच वर्षों के दौरान देश में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) के अंतर्गत स्वीकृत की गई, पूर्ण हुई और लंबित पड़ी कुल सड़क परियोजनाओं की राज्यवार और वर्षवार संख्या कितनी है;

(ख) केरल सहित, विशेषकर अलथूर लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र में , स्वीकृत की गई और पूर्ण हुई सड़क परियोजनाओं का राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने परियोजना कार्यान्वयन में देरी की पहचान की है और यदि हाँ , तो ऐसी देरी के कारण क्या हैं और उन्हें दूर करने के लिए राज्यवार क्या उपाय किए गए हैं;

(घ) क्या जनजातीय और दूरस्थ क्षेत्रों की ग्रामीण सड़कों और संपर्क मार्गों के अनुरक्षण को सम्मिलित करने हेतु पीएमजीएसवाई के दायरे को बढ़ाने का कोई प्रस्ताव है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) पिछले तीन वर्षों के दौरान पीएमजीएसवाई के अंतर्गत आवंटित , जारी और उपयोग की गई धनराशि का राज्यवार ब्यौरा क्या है?

उत्तर
ग्रामीण विकास राज्य मंत्री
(श्री कमलेश पासवान)

(क) और (ख) देश में पिछले पांच वर्षों के दौरान प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) के अंतर्गत केरल और अलथुर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र सहित स्वीकृत , पूर्ण और लंबित ग्रामीण सड़क परियोजनाओं की, राज्यवार और वर्षवार कुल संख्या, कार्यक्रम की वेबसाइट www.omms.nic.in > Progress Monitoring > State MPR Abstract Report पर देखी जा सकती है।

(ग) पीएमजीएसवाई के अंतर्गत कुल स्वीकृत लंबाई 8,25,384 किलोमीटर में से पीएमजीएसवाई के विभिन्न कार्यकलापों के अंतर्गत 31.07.2025 तक कुल 7,60,471 किलोमीटर का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है। कुल 47,727 किलोमीटर सड़क का निर्माण कार्य विभिन्न चरणों में होना बाकी है। कई राज्यों से प्राप्त अनुरोधों के आधार पर , पीएमजीएसवाई III के अंतर्गत चल रही परियोजनाओं को पूरा करने की समय-सीमा मार्च , 2025 से संशोधित कर मार्च, 2026 कर दी गई है।

कुछ परियोजनाओं के पूरा होने में देरी के कारण हैं - राज्य द्वारा परियोजनाओं के आवंटन में देरी, वन मंजूरी मिलने में देरी , ठेकेदारों द्वारा निविदा प्रतिक्रिया की कमी तथा कई परियोजनाओं के लिए कठिन कार्य स्थितियां, विशेष रूप से वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित क्षेत्रों में चलने वाली परियोजनाएं।

राज्य सरकारों को विभिन्न क्षेत्रीय समीक्षा बैठकों , कार्य निष्पादन समीक्षा समिति की बैठकों और अधिकार प्राप्त समिति की बैठकों के माध्यम से पीएमजीएसवाई के अंतर्गत सड़क निर्माण कार्यों को समय पर पूरा करने हेतु आवश्यक कार्रवाई करने की सलाह दी जाती है। इस संबंध में मंत्रालय द्वारा निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं:

i. राज्यों से निष्पादन क्षमता और अनुबंध क्षमता बढ़ाने का अनुरोध किया गया है और इस संबंध में उनके अनुपालन की नियमित समीक्षा की जाती है।
ii. बोली दस्तावेज़ प्रावधानों को युक्तिसंगत बनाया गया है।
iii. क्षमता निर्माण के लिए क्षेत्रीय इंजीनियरों और ठेकेदारों के साथ-साथ उनके कार्मिकों को प्रशिक्षण दिया जाता है।
iv. विभिन्न क्षेत्रों में उस क्षेत्र के राज्यों के क्लस्टर के लिए नियमित अंतराल पर वास्तविक एवं वित्तीय मापदंडों की नियमित एवं संरचित समीक्षा की जाती है।

(घ) केंद्रीय मंत्रिमंडल ने दिनांक 11 सितंबर, 2024 को वित्त वर्ष 2024-25 से 2028-29 के दौरान प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना -IV (पीएमजीएसवाई-IV) के कार्यान्वयन को अनुमोदन प्रदान किया। इस कार्यक्रम के अंतर्गत , 2011 की जनगणना के अनुसार मैदानी इलाकों में

500+, पूर्वोत्तर और पहाड़ी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों और विशेष श्रेणी क्षेत्रों (आदिवासी अनुसूची V, आकांक्षी जिले /ब्लॉक, रेगिस्तानी क्षेत्र) में 250+ और वामपंथी उग्रवाद (एलडब्ल्यूई) प्रभावित जिलों में 100+ आबादी वाली पात्र 25,000 संपर्कविहीन बसावटों को नई संपर्कता प्रदान करने के लिए 62,500 किलोमीटर के सड़क निर्माण और नई संपर्कता सड़कों पर पुलों के निर्माण/उन्नयन के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जानी है। इस योजना का कुल परिव्यय 70,125 करोड़ रुपये होगा। पीएमजीएसवाई-I V दिशानिर्देश तैयार कर दिसंबर, 2024 तक सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को प्रचालित कर दिए गए हैं।

पीएमजीएसवाई के तहत , ग्रामीण सड़कों का रखरखाव राज्य /संघ राज्य क्षेत्र सरकारों की ज़िम्मेदारी है। मंत्रालय ने इस कार्यक्रम के तहत निर्मित सड़कों के रखरखाव के लिए दिशानिर्देश जारी किए हैं। पीएमजीएसवाई के तहत निर्मित सड़कें मानक बोली दस्तावेज़ (एसबीडी) के अनुसार उसी ठेकेदार के साथ किए गए निर्माण अनुबंध के 5-वर्षीय रखरखाव अनुबंध के अंतर्गत आती हैं। चूँकि पीएमजीएसवाई सड़कों का डिज़ाइन काल दस वर्ष है , इसलिए राज्यों को अतिरिक्त पाँच वर्षों तक रखरखाव का कार्य करना होगा। पीएमजीएसवाई के तहत निर्मित सड़कों के रखरखाव पर अधिक ध्यान देने के लिए राज्यों /संघ राज्य क्षेत्रों के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। मंत्रालय ने दोष दायित्व अवधि के दौरान ठेकेदार को रखरखाव संबंधी भुगतान करने के लिए ई-मार्ग (ईमार्ग) नामक सॉफ्टवेयर मॉड्यूल भी शुरु किया है। ई-मार्ग के पंचवर्षीय निर्माण मॉड्यूल में आवश्यकतानुसार प्रारंभिक पुनर्निर्माण, नवीनीकरण, नवीनीकरण-पूर्व नियमित रखरखाव , नवीनीकरण-पश्चात रखरखाव और आपातकालीन मरम्मत कार्य शामिल हैं। अनुबंध की पूर्ति हेतु रखरखाव निधि का बजट राज्य सरकारों द्वारा तैयार किया जाना चाहिए और उसे राज्य ग्रामीण सड़क विकास एजेंसियों (एसआरआरडीए) के पास एक अलग रखरखाव खाते में रखा जाना चाहिए। इस पंचवर्षीय अवधि की समाप्ति पर निर्माण रखरखाव के लिए, पीएमजीएसवाई सड़कों को क्षेत्रीय रखरखाव अनुबंधों के तहत रखा जाना आवश्यक है , जिसमें आवधिक चक्र के अनुसार नवीनीकरण सहित 5 वर्ष का रखरखाव भी शामिल है।

(ड) पिछले तीन वर्षों के दौरान पीएमजीएसवाई के कार्यान्वयन के लिए भारत सरकार द्वारा जारी की गई निधियों में केंद्रीय अंश और किए गए व्यय (राज्य अंश सहित) का राज्यवार ब्यौरा **अनुबंध में दिया गया है।**

अनुबंध

लोकसभा में दिनांक 05.08.2025 को उत्तर दिए जाने के लिए नियत अतारांकित प्रश्न संख्या 2580 के भाग (ड) में उल्लिखित अनुबंध

पिछले तीन वर्षों के दौरान जारी की गई कुल निधि और किया गया व्यय

(करोड़ रुपये में)

क्रम सं.	राज्य का नाम	जारी केंद्रीय निधि			राज्य अंश सहित व्यय		
		2022-23	2023-24	2024-25	2022-23	2023-24	2024-25
1	अंडमान और निकोबार	12.22	12.22	0.05	7.51	22.93	3.97
2	आंध्र प्रदेश	644.13	140.64	507.32	748.63	368.03	370.6
3	अरुणाचल प्रदेश	1018.74	339.9	609	1,246.99	320.09	726.1
4	असम	664.91	391.29	79.24	1,118.21	571.22	264.55
5	बिहार	1443.23	963.37	1195.44	2,088.54	1,815.63	2,312.80
6	छत्तीसगढ़	995.87	401.77	325.24	1,057.35	388.09	421.88
7	गोवा	0	0	0	0	0	0
8	गुजरात	266.63	298.41	220.65	492.19	330.33	361.22
9	हरियाणा	168.25	74.01	27.38	213.81	150.86	34.6
10	हिमाचल प्रदेश	624.76	617.56	634.82	626.84	371.54	904.14
11	जम्मू और कश्मीर	717	1304.17	1028.25	1,114.78	1,256.96	1,070.65
12	झारखंड	332.63	752.8	961.77	745.63	1,323.90	1,374.96
13	कर्नाटक	720.47	72.25	100.58	864.71	404.03	142.81
14	केरल	106.76	54.25	122.27	124.97	164.95	249.15
15	लद्दाख	109.97	37.5	113.81	107.81	30.44	111.33
16	मध्य प्रदेश	1557.47	599.42	703.29	1,978.73	1,105.16	966.83
17	महाराष्ट्र	743	1110.8	854.93	1,074.02	1,507.37	1,524.10
18	मणिपुर	744.98	161.29	2.81	539.11	296.83	88.18
19	मेघालय	405.89	122.59	219.62	373.72	238.19	373.8

20	मिजोरम	584.2	141.37	87.5	315.94	381.62	45.78
21	नागालैंड	183.15	161.29	2.25	198.65	94.01	30.5
22	ओडिशा	1235.88	1262.55	712.39	2,088.90	1,589.80	736.5
23	पुदुचेरी	24.72	0.27	25	27.08	11.89	-0.1
24	पंजाब	231.06	265.1	319.87	428.72	522.95	328.82
25	राजस्थान	199.9	404.79	450.46	372.38	633.09	932.86
26	सिक्किम	263.33	94.37	70	230.34	130.13	148.98
27	तमिलनाडु	613.7	411.36	638.66	532.36	777.78	741.43
28	तेलंगाना	321.43	296.9625	132.57	345.32	479.41	399.9
29	त्रिपुरा	267.59	185.03	172.75	152.9	112.64	98.25
30	उत्तर प्रदेश	2068.57	2679.63	1968.6	3,267.32	3,791.65	2,703.84
31	उत्तराखंड	1297.16	551.05	815.5	1,350.02	800.68	934.03
32	पश्चिम बंगाल	381.03	99.275	225	394.75	309.11	269.77
33	**कुल**	**18948.61**	**14007.29**	**13327.03**	**24,228.27**	**20,301.27**	**18,672.26**